न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 289/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– मगनाराम पुत्र घमण्डाराम 2– गेनाराम पुत्र दुर्गाराम जातियान जाट निवासी मानपुरा खारडा, तहसील गिडा, जिला बाडमेर		1– हडमानराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी मानपुरा खारडा, पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा, जिला बाडमेर 2– सुरताराम पुत्र हमीराराम 3– नरसींगाराम पुत्र देवाराम 4– घेवरराम पुत्र डुंगराराम 5– मिश्राराम पुत्र रूपाराम 6– गाईडराम पुत्र रूपाराम 7– भोमाराम पुत्र रूपाराम जाति देवासी 8– घनाराम पुत्र घमण्डाराम 9– खरथाराम पुत्र सुजाराम 10–टीकमाराम पुत्र धर्माराम 11–हुकमाराम पुत्र तुलछाराम 12–रूपाराम पुत्र तुलछाराम 13–लिखमाराम पुत्र पूनमाराम 14–राजुराम पुत्र नारणाराम 15–मोटाराम पुत्र खेताराम 16–वगताराम पुत्र खेताराम 17–रावताराम पुत्र धमण्डाराम 18–मगाराम पुत्र घमण्डाराम 19–मगाराम पुत्र ताजाराम 20–रावताराम पुत्र गोरधनराम 21–लाखाराम पुत्र चैनाराम 22–राजूराम पुत्र भीखाराम 23–मानाराम पुत्र भीखाराम जातियान जाट निवासीगण मानपुरा खारडा, तहसील गिडा जिला बाडमेर 24–हरीराम पुत्र केहराराम 25–गोरखाराम पुत्र केहराराम 26–गोधुराम पुत्र उदाराम जातियान मेगवंशी निवासीगण खारडा चारणान तहसील गिडा जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 90/2018 अनवान हडुमानराम बनाम सुरताराम वगैरा मे दिनांक 4–6–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री एम.एल.खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री दयाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 13–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अन्य प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध दिनांक 4–6–2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कोर्ट परेऊ मे पेश किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का खातेदारी का खेत ग्राम मानपुरा खारडा के खेत खसरा नंबर 204 रकबा 292 बीघा 12 बिस्वा आई हुई है, जिसके वे रेकर्डेड खातेदार है तथा अन्य प्रत्यर्थीगण के खेत सेढा–सेढ आये हुए है, जिनके बीच सीमा चिन्ह या कोई पक्की मांठ नही होने से बारिश के मौसम मे सेढो को लेकर विवाद रहता है इसलिए मौका फर्द अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को केम्प कोर्ट मे ही दर्ज कर उसी दिन अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–6–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार गिडा को आदेशित किया कि प्रार्थीगण एवं उसके खातेदारी खेत के समस्त हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस देकर सुनने के बाद दोनो पक्षकारो की उपस्थिति मे प्रार्थना पत्र उल्लेखित विवादित खसरा नंबर की भमि के चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करे तथा नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिडा को कमिश्नर नियुक्त कर आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाटंगण की खातेदारी के खसरा नंबर 200 है जो कि प्रत्यर्थीगण के खसरा नंबर 204 से लगता हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 आर.एल.आर.एक्ट मे अपीलांटगण को पक्षकार ही नही बनाया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र मे विवादित खसरा नंबरान के पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाकर उन्हे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पक्षकारो के कुसंयोजन के कारण भी निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि लोक अदालत मे केवल उन प्रकरणो की सुनवाई की जा सकती है जिसमें दोने पक्षकार आपसी सहमति से विवादो का निबटारा करने बाबत आदेश पारित किये जाते है लेकिन वर्तमान मामले मे लोक अदालत की भावना के विपरीत आदेश पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–6–2018 को निरस्त कर प्रकरण

अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन भूमि के सभी पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाकर विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे प्रार्थी के खातेदारी के खेत के चारो तरफ सेढा पडौसियो को नोटिस देने के बाद, दोनो पक्षकारो की उपस्थिति मे प्रार्थी के खातेदारी खेत की नेखमबंदी करने का आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का भी अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कोर्ट परेऊ के समक्ष वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 हडुमानराम ने दिनांक 4–6–2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमे उल्लेख किया कि उसके खातेदारी के खेत खसरा नंबर 204 की भूमि के पडौसी खातेदारी के खेतो के बीच कोई सीमा चिन्ह एवं पक्की माठ नहीं होने के कारण प्रार्थी एंव विप्रार्थीगणो के खेतो की सीमा को लेकर विवाद बना रहता है इसलिए इस विवाद को समाप्त करने के लिए उसके खातेदारी के खेत ग्राम मानपुरा खारडा के खसरा नंबर 204 रकबा 292.12 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करने का निवेदन किया, इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं अपीलांटगण के खातेदारी के खेत की सीमा को लेकर विवाद था तो पडौसी खातेदार वर्तमान अपीलांट को पक्षकार बनाया जाकर उसे सुना जाना आवश्यक था ।

इसके अलावा वर्तमान अपील के साथ जो दस्तावेज जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा आदि प्रस्तुत किये गये है जिनसे यह प्रकट है कि अपीलांट प्रत्यर्थी संख्या 1 के खातेदारी के खसरा नंबर 204 का सेढा पडौसी है तथा अपीलांट के खातेदारी खेत का खसरा नंबर 200 जो कि खसरा नंबर 204 के खेत से लगता हुआ है, ऐसे मे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे वर्तमान अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान अनुसार नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र मे विवादित खसरा नंबरान के पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाकर उन्हे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है इसलिए उक्त विधिक प्रावधान अनुसार भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–6–2018 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाधीन भूमि के पडौसी खातेदारो एवं अपीलांटगण को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनकी उपस्थिति मे रेस्पो0 संख्या 1 हडुमानसिह के नेखमबंदी प्रार्थना पत्र पर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर